

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

बुलन्दशहर

दिनांक: जुलाई 8, 2015

पत्रांक:-11/सी0एफ0ओ0/निरी0/2015

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,
राधव ग्लोबल स्कूल,
ग्राम-मण्डावली, पोस्ट-चांदोक
जनपद-बुलन्दशहर

विषय:-राधव ग्लोबल स्कूल ग्राम-मण्डावली, पोस्ट-चांदोक जनपद-बुलन्दशहर में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

कृपया,

आवेदक के प्रार्थना पत्र दिनांक:23-06-2015 के अनुसार अग्निशमन अधिकारी डिवाई के द्वारा दिनांक: 03-07-2015 को निरीक्षण कराया गया तो आख्या निम्नलिखित है।

- 1-यह स्कूल ग्राम-मण्डावली में स्थित है।
- 2-यह स्कूल ग्राउण्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर व द्वितीय फ्लोर पर निर्मित है।
- 3-पहुँच मार्ग ठीक पाया गया।
- 4-स्कूल में 30 कमरे निर्मित हैं।

मुख्य सचिव उ0प्र0शासन शिक्षा(06) अनुभाग का शासनदेश संख्या:15/79-6-08 दिनांक:20-07-2009 तथा मा0सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या:483/2004 अवनीश कुमार मलहोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एंव अन्य में पारित मा0न्यायालय के आदेश दिनांक:13-04-2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों/कालेजों में अग्नि सुरक्षा शासनदेश संख्या:1801/15-7-1(124)/2009 दिनांक:20-07-2009 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील दशा में पाये गये। इन निर्देशों के अनुसार उपकरणों की टैस्टिंग/रिफिलिंग फीस राजकीय कोष में रु0 300-दिनांक:08-07-2015 चालान न0-D020026 के द्वारा जमा करा दी गयी है। स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। तथा उपकरणों की टैस्टिंग/रिफिलिंग फीस प्रति वर्ष राजकीय कोष में जमा करा कर अग्निशमन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार स्वामी/प्रबन्धक को दिनांक:07-07-2016 तक अग्निशमन व्यवस्था का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। उपरोक्त का पालन न करने की दशा में निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। इस प्रमाण पत्र को भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र न समझा जाये।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बुलन्दशहर